

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
--: मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर --:

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 9-5 / 2017/तक.शि./42 दिनांक-22/3/2017

“छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार, एतद् द्वारा, सहायता न पाने वाली निजी तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम बनाती है :-

1. **संक्षिप्त नाम :** ये नियम “छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों हेतु प्रवेश नियम 2017” कहलावेंगे। इन नियमों को एतरिम पश्चात ‘प्रवेश नियम’ कहा गया है।
2. **प्रयोजनीयता:** ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय से अनुमोदित/संबद्ध/संघटक एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त तकनीकी संस्थाओं तथा इन संस्थाओं में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों पर लागू होंगे। यही नियम तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय संस्थाओं, स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं तथा शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में भी लागू होंगे।
3. **परिभाषाएँ :-** इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-
 - (1) ‘प्रवर्ग’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (एस.टी.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग (कीमोलेयर को छोड़कर) (ओ.बी.सी.) और जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता है, उसे अनारक्षित प्रवर्ग माना जाएगा।
 - (2) ‘व्यापन’ से अभिप्रेत है, ‘छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल’, रायपुर।
 - (3) ‘सक्षम प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा कारुंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
 - (4) ‘प्राचार्य’ से अभिप्रेत है, संस्था प्रमुख अथवा संस्था का प्रभारी।
 - (5) ‘छत्तीसगढ़’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
 - (6) ‘अमातशिप’ से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
 - (7) ‘संचालक’ से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
 - (8) ‘अन्यर्था’ से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
 - (9) ‘वर्ग’ से अभिप्रेत है ‘सैनिक वर्ग’, ‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग’ एवं ‘निःशक्तता से बाधित वर्ग’ और इनमें से जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे ‘बिना वर्ग’ माना जाएगा।
 - (10) ‘अल्पसंख्यक संस्था’ से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित तथा प्रशासित की गई हो एवं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की गई हो।
 - (11) ‘निजी संस्था’ से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
 - (12) ‘पी.ई.टी.’ से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा पी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।



- (13) 'पी.पी.एच.टी.' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा बी.फार्मेसी, डी.फार्मेसी एवं बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री फार्मेसी टेस्ट।
- (14) 'जे.ई.ई (मेन)' से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, ज्वाइंट इंटेन्स एकायिनेशन।
- (15) 'पी.पी.टी.' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट।
- (16) 'डिप्लोमा इंजीनियरिंग' से अभिप्रेत है, इंजीनियरिंग में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रम।
- (17) 'प्री-एम.सी.ए.' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट।
- (18) 'निमसेट' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, एनआईटी एम.सी.ए. वॉमन इंटेन्स टेस्ट।
- (19) 'जी.ए.टी.ई.' से अभिप्रेत है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट एपीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग।
- (20) 'जी.पी.ए.टी.' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट फार्मेसी एपीट्यूट टेस्ट।
- (21) 'सी.एम.ए.टी.' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, वॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट।
- (22) 'एम.ए.टी.' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, मैनेजमेंट एपीट्यूट टेस्ट।
- (23) 'सी.ए.टी.' से अभिप्रेत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, वॉमन एडमिशन टेस्ट।
- (24) 'एक्स.ए.टी.' से अभिप्रेत है, जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, जेवियर एपीट्यूट टेस्ट।
- (25) 'ए.टी.एम.ए.' से अभिप्रेत है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, एआईएमएस टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन।
- (26) 'नाटा' से अभिप्रेत है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज इन आर्किटेक्चर द्वारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय एपीट्यूट परीक्षा, नेशनल एपीट्यूट टेस्ट इन आर्किटेक्चर।
- (27) 'प्रायोजित अभ्यर्थी' से अभिप्रेत, उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्य शासन/केन्द्र शासन/किसी पंजीकृत कंपनी/संस्था में पूर्णकालिक अथवा संचिद पर कम से कम दो वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दी गयी हो।
- (28) 'टी.एफ.डब्ल्यू' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की ट्यूशन फी वेव्हर योजना।
- (29) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों के कोटा का निर्धारण -

(i) बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मसी/डिप्लोमा फार्मसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एवं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष की सीटों को निम्नानुसार चार प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ1	OSQ1	MQ1	MINQ1
निजी संस्थानें	75	10	15	निरंक
किरोडीनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायगढ़	80	10	10	निरंक
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा	75	10	15	निरंक
शासकीय संस्थानें	100	निरंक	निरंक	निरंक
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थानें	100	निरंक	निरंक	निरंक
निजी अल्पसंख्यक संस्थानें	50	निरंक	निरंक	50

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ1) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी., पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए. की मेरिट के आधार पर होंगे।
- (2) अन्य राज्य कोटा (OSQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे। अन्य राज्य के अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने पर इसे आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश जे.ई.ई.(मिन), पी.पी.एच.टी., नाटा, निमसेट की मेरिट के आधार पर होंगे।
- (3) मैनेजमेंट कोटा (MQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./जे.ई.ई.(मिन); पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए./निमसेट के मेरिट के आधार पर होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।
- (4) अल्पसंख्यक कोटा (MINQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./जे.ई.ई.(मिन), पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए./निमसेट के मेरिट के आधार पर होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(ii) डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष की सीटों को निम्नानुसार दो प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ2	MQ2
निजी संस्थानें	85	15
शासकीय संस्थानें	100	निरंक

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ2) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.पी.टी. की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे।
- (2) मैनेजमेंट कोटा (MQ2) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.पी.टी. की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(iii) एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मसी, एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की सीटों को निम्नानुसार कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	ME/MTech		M.Pharmacy		MBA	
	CGQ3	SQ3	CGQ3	MQ3	CGQ3	MQ3
निजी संस्थानें	75	25	85	15	85	15
शासकीय संस्थानें	75	25	100	निरंक	100	निरंक
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थानें	75	25	100	निरंक	100	निरंक
निजी अल्पसंख्यक संस्थानें	75	25	-	-	-	-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ3) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (2) प्रायोजित कोटा (SQ3) :- इस कोटे के अंतर्गत केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। निवास का बंधन नहीं है। इस कोटे में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस कोटे में प्रवेश के लिए शेष सभी नियम लागू रहेंगे।
- (3) मैनेजमेंट कोटा (MQ3) :- इस कोटे के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए शेष संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(iv) इंजीनियरिंग एवं फार्मैसी स्नातक पाठ्यक्रमों तथा एम.सी.ए., पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एंट्री सीटों को निम्नानुसार कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ4	MQ4	MINQ4
निजी संस्थानें	85	15	निरंक
किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायगढ़	100	निरंक	निरंक
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरवा	85	15	निरंक
शासकीय संस्थानें	100	निरंक	निरंक
शासकीय विश्वविद्यालयीय संस्थानें	100	निरंक	निरंक
निजी अल्पसंख्यक संस्थानें	50	निरंक	50

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ4) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- (2) मैनेजमेंट कोटा (MQ4) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र हैं। इस कोटे में प्रवेश के लिए संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।
- (3) अल्पसंख्यक कोटा (MINQ4) :- इस कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(v) डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रमों एवं डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग में प्रवेश हेतु द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एंट्री सीटों को निम्नानुसार दो प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ5	MQ5
निजी संस्थानें	85	15
शासकीय संस्थानें	100	निरंक

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ5) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे।
- (2) मैनेजमेंट कोटा (MQ5) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(vi) डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मैनेजमेंट एवं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष की सीटों को निम्नानुसार दो प्रकार के कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CGQ6	MQ6
निजी संस्थानें	85	15
शासकीय संस्थानें	100	निरंक





- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ6) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे।
- (2) मैनेजमेंट कोटा (MQ6) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर (बिंदु 7.3 के प्रावधानों को छोड़कर) होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

टीप :- कोई संस्था स्वेच्छा से मैनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को, छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण एवं परिवर्तन कर सकती है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

(ब) आबंटन क्रम

- (1) इंजीनियरिंग, फार्मसी, बी. आर्क एवं एम.सी.ए. संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की सीटों को सबसे पहले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अन्य राज्य कोटा के अंतर्गत जे.ई.ई. (मैन), पी.पी.एच.टी., नाटा, निमसेट के आधार पर प्रवेश हेतु आबंटन किया जाएगा। सीट रिक्त रहने पर रिक्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- (2) इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य कोटा की सीटों तथा उपरोक्तानुसार बिंदु (01) की शेष रह गई सीटों को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से पी.ई.टी., पी.पी.एच.टी., नाटा, प्री-एम.सी.ए. परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु आबंटन किया जाएगा।
- (3) तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर इंजीनियरिंग संस्थाओं की सीटों पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को पी.ई.टी./जे.ई.ई. (मैन) के मेरिट के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा।
- (4) इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को इंजीनियरिंग संस्थाओं की सीटों पर पी.ई.टी./जे.ई.ई. (मैन) की मेरिट के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा।
- (5) न्यूनतम प्रभावित क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियम 7.3 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा।
- (6) सामान्यतः प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की प्रक्रिया एक से अधिक चरणों में होगी।

(स) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले तकनीकी संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम तथा शर्तें :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या तकनीकी शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.) की [website-www.cgdteraiipur.ac.in](http://www.cgdteraiipur.ac.in) पर प्रत्येक अकादमिक सत्र के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व दर्शाई जावेगी।
- (2) इंजीनियरिंग के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम, एम.सी.ए. पाठ्यक्रम तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों की 20 प्रतिशत सांख्यिकीय सीट लेटरल एंट्री हेतु द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए उपलब्ध रहेंगी। फार्मसी संस्थाओं के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों की 10 प्रतिशत सांख्यिकीय सीट लेटरल एंट्री हेतु द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए उपलब्ध रहेंगी।
- (3) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी इंजीनियरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर, एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. संस्थाओं को रु. 1000/- एवं प्रत्येक निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को रु. 500/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कांशान मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कांशान मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा। यह कांशान मनी संस्थाओं द्वारा ट्यूशन फी वेकर योजना के परिपालन एवं छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा कांशान मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही संचालनालय के द्वारा की जा सकती है।

(4) एम.ई./एम.टेक के लिए प्रायोजित अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों में से विषयवार/ब्रांचवार एवं संस्थावार 18/20 सीटों पर 5 सीटें, 24 सीटों पर 6 सीटें, 36 सीटों पर 9 सीटें आरक्षित रहेंगी। तथापि प्रायोजित सीटें नहीं भरने पर इसे अप्रायोजित अभ्यर्थी से जी.ए.टी.ई. के माध्यम से भरा जा सकेगा। इसी प्रकार यदि अप्रायोजित अभ्यर्थी से जी.ए.टी.ई. के माध्यम से सीटें नहीं भरती है, तो उसे प्रायोजित अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

(5) शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाओं की संपूर्ण सीटें केवल महिला उम्मीदवारों के लिये ही आरक्षित हैं।

5 सीटों का आरक्षण :- संस्थाओं में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों पर आरक्षण ऐसा होगा जैसा कि समय-समय पर इस संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए। आरक्षित सीटों के बटवारे की जानकारी काउंसिलिंग के समय वेबसाइट पर दी जायेगी। विभिन्न वर्ग एवं प्रवर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था यथा संभव ब्रांचवार/संस्थावार की जायेगी। आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित प्रतिशत के आधार पर सर्वप्रथम ब्रांचवार की जायेगी परंतु इससे यदि संस्थावार आरक्षण असंतुलित होता है तो इसे यथासंभव संतुलित करने के लिये ब्रांचवार आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है।

5.1 उर्ध्वार आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्गों के लिए :-

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयों, स्वशासी-स्ववित्तीय तथा निजी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित रहेंगी।

छ.ग. राजपत्र में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2013-14 से निजी गैर-अनुदान प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रमवार कुल स्वीकृत सीटों का क्रमशः 12 प्रतिशत, 32-प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जायेगी। किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर, उन सीटों को शासकीय संस्थाओं में प्रचलित नियम के अनुसार अन्य या अनारक्षित वर्ग से भरा जायेगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में, निर्धारित 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक सीटों में आरक्षण नहीं रहेगा परंतु शेष सीटों के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षण रहेगा।

इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अनारक्षित) का अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है। यदि किसी एस.सी./एस.टी. अथवा ओ.बी.सी. प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट मिलती है तो उसे अनारक्षित में ही स्नायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित आरक्षण संबंधी नियमों एवं निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टीप:- (अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस प्रवेश नियम में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5.2 शैतिज आरक्षण

'सैनिक वर्ग' 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं 'निःशक्तता से बाधित वर्ग' के अभ्यर्थियों के लिये :-

- (1) शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरुद्ध पुनः 'सैनिक', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' एवं निःशक्तता से बाधित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 एवं 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। स्वशासी-स्ववित्तीय संस्थाओं एवं शासकीय विश्वविद्यालय संस्थाओं में केवल निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी के लिये ही 3 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। निजी संस्थाओं में शैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा।
- (2) एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मैसी, एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के लिए शासकीय संस्थाओं/शासकीय विश्वविद्यालय संस्थाओं में केवल निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होगी।
- (3) नेटवर्क एण्ट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए शैतिज आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी।

5.2.1 सैनिक वर्ग

सैनिक वर्ग में, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से निःशक्तता से बाधित हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो, शामिल हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस प्रवेश नियम में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 (अ) में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा ऑफिसर कमांडिंग द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को प्रारूप-6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये हैं उन्हें प्रवेश नियम के प्रारूप-3 (ब) में प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कर्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप-3 (स) एवं प्रारूप-6 दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

टीप: (1) होनगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कर्मिकों अथवा छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कर्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनकी संतानों को भी इस संबंध में सधम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग :-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नाती/नातीनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं।

इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्टर ने रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है। परंतु इस संदर्भ के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जायेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-4 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी, द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही इस संबंध में एक मात्र वैध प्रमाण-पत्र होगा।

Redu

5.2.3 निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक है एवं जो नियम 6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों उनके लिये शासकीय संस्था, शासकीय विश्वविद्यालय तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की स्वीकृत सीटों में 3 प्रतिशत सीटों का शैतिज आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व पिछड़ा वर्ग (क्रीम लेयर को छोड़ कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा। यदि किसी ब्रांच में इस शैतिज आरक्षण के विरुद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। निःशक्तजनों को 'माइनिंग इंजीनियरिंग' में प्रवेश की पात्रता नहीं है।

टिप्पणी: इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को :-

- (1) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र एवं
- (2) अशिक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, दाना गोदाम भौटर स्टैन्ड, नेपियर टाउन, जयपुर द्वारा जारी इस आशय का पात्रता प्रमाण-पत्र कि यह संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत करने होंगे। (दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।)
- (3) यदि किसी निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुनर्वास केंद्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, ताकि यह पता चल सके अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है।

5.2.4 महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण

शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयीय तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अनारक्षित) के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा। राज्य के कन्या पॉलीटेक्निकों की सभी सीटें कन्याओं हेतु आरक्षित हैं। प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। माइनिंग शाखा में महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। निजी संस्थाओं में महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण नहीं है।

5.2.5 बिना वर्ग

जो अभ्यर्थी ठीक पूर्ववर्ती चारों वर्गों में से किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपेक्षित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहे उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग' का अभ्यर्थी माना जायेगा एवं उसे प्रवर्ग की ओपन सीट के विरुद्ध प्रवेश की पात्रता रहेगी।

5.2.6 आरक्षण हेतु आवंटन का क्रम :- काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वार एवं शैतिज आरक्षित सीटों के आवंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा।

- (1) उर्ध्वार आरक्षण :- सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि किसी आरक्षित श्रेणी (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट आवंटित होती है तो उसे अनारक्षित सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी।
- (2) शैतिज आरक्षण :- इस प्रक्रिया में सबसे पहले वर्ग विशेष जैसे सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तता से बाधित, महिला आदि आरक्षित सीट का आवंटन किया जायेगा, जब तक कि शैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये। तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का उसी प्रवर्ग में आवंटन किया जायेगा।
- (3) उर्ध्वार आरक्षण के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आवंटित की जा सकती है।
- (4) आरक्षित प्रवर्ग की सीट जो शैतिज आरक्षण के कारण सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आवंटित किया जायेगा। इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा।

टीप : विभिन्न वर्ग एवं प्रवर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था यथा संभव ब्रांचवार/संस्थावार की जायेगी। आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम शंघवार की जायेगी परंतु इससे यदि संस्थावार आरक्षण असंतुलित होता है तो इसे यथासंभव संतुलन करने के लिये ब्रांचवार आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है। सीट कम होने के कारण यह आवश्यक नहीं कि हर प्रवर्ग/वर्ग को हर ब्रांच की सीट मिले।

5.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग-

- (1) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं, स्वशासी-स्ववित्तीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ग में प्रवेश हेतु एक-एक सीट प्रवेश श्रमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
- (2) इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो, और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- (3) किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा, परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर सीट आवंटित किया जायेगा।
- (4) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होगा।
- (5) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्र. No. F.5-84/2012/AICTE/J&K/(Seats)/1016 दिनांक 8 नवंबर 2012 के दिशा निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर के निवासी छात्रों के प्रवेश के लिए प्रत्येक स्नातक इंजीनियरिंग संस्था में दो-दो सांख्येत्तर सीट उपलब्ध रहेगी। इस हेतु भी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी एवं प्रवेश 12 वीं की भेरिट के आधार पर होगा।

6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

6.1 शैक्षणिक अर्हता

(अ) विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि एवं उनमें प्रवेश की पात्रता के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार तालिका में दी गई है।

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (वर्ष में)	शैक्षणिक अर्हता
द्वैचक्र आरक्षित इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (बी.ई./बी.टेक.)	4	अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं गणित सहित रसायन/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक विषय में से किसी एक विषय के साथ (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीनों मुख्य विषयों यथा भौतिकी, गणित एवं रसायन/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक विषय को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीनों मुख्य विषयों यथा भौतिकी, गणित एवं रसायन/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

		टीप :- तकनीकी व्यावसायिक विषयों की सूची परिशिष्ट- '1' की अनुसूची- 'ए' में दी गई है।
दिएतर आफ इंजीनियरिंग (बायोटेक्नोलॉजी)	4	अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं बायोलॉजी/गणित तथा रसायन/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय में से कित्ती एक विषय के साथ (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीनों मुख्य विषयों यथा भौतिकी, बायोलॉजी/गणित एवं रसायन/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीनों मुख्य विषयों यथा भौतिकी, बायोलॉजी/गणित एवं रसायन/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्यातिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। टीप :- तकनीकी व्यावसायिक विषयों की सूची परिशिष्ट- '1' की अनुसूची- 'ए' एवं अनुसूची- 'बी' में दी गई है।
दिएतर आफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क)	5	गणित विषय के साथ (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अथवा 10वीं के पश्चात गणित विषय सहित तीन वर्ष का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पृथक से आर्किटेक्चर में एपीट्यूट टेस्ट (नाटा) क्वालीफाइड होना अनिवार्य है।
मास्टर आफ इंजीनियरिंग /टेक्नोलॉजी (एम.ई./एम.टेक.)	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ई./बी.टेक.) अथवा समुचित विषय में समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांको एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टीप:- 1. बी.ई. के समकक्ष उपाधि जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त ए.एम.आई.ई. आदि की उपाधि को भी प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा। 2. समुचित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा एवं समुचित विषय की सूची परिशिष्ट- '2' में दी गई है।
मास्टर आफ फार्मेसी (एम.फार्मेसी)	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में चार वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांको एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तता से बाधित के लिये 50 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी मान्यता प्राप्त संकाय/विषय में तीन वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा पाँच वर्षीय इंटीग्रेटेड उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांको एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

